

GENERAL RULES OF ADMISSION IN VARIOUS COURSES

Eligibility for Admissions and Other Related Rules

1.1 Minimum Percentage for Admissions and Eligibility for Appearing in Entrance Test -

- 1.1.1 Minimum percentage and admission criteria for admission to courses being offered by the University are mentioned in the respective departmental profiles of this admission brochure. A relaxation of 5% in the eligibility criteria shall be admissible to the bonafide SC/ST/OBC applicants of Madhya Pradesh only. A relaxation of 5% in eligibility will also be applicable to **Nishaktjan** as defined by M.P. Government.
- 1.1.2 If some seats remain vacant in **non-entrance test based courses**, candidates who have secured a minimum of 45% aggregate marks in the qualifying examination can be given admission. But in such cases, no candidate (whatever category he/she belongs to) who has secured below 45% will be admitted.
- 1.1.3 The **candidates awaiting their results of qualifying examination** can also apply for admission but their final admission to the course shall be directed by point nos 4.1.4.7 and 4.2.3.4.
- 1.1.4 Candidates who have passed their qualifying examination from universities other than Jiwaji University are required to submit '**Eligibility Certificate**'.
- 1.1.5 Fresh admission will be given only in first semester / first year of the course.

1.2 Age Limit

As per the government rules the upper age limit for admission to undergraduate courses is 22 years whereas for postgraduate degree and diploma courses it is 27 years as on **July 01, 2010**. A relaxation of three years in upper age limit for SC / ST / OBC and physically handicapped candidate shall be provided for the applicants of Madhya Pradesh only. For candidate belonging to **Nishaktjan** category upper age limit for admission to Graduate and Post Graduate classes will be 30 and 35 years, respectively. Upper age limit will not be applicable for the candidates sponsored by foreign / Indian / state government and the institution directly or indirectly under their control or if the fees is paid in foreign currency for the payment seat. There is no upper age limit for female candidates and Yoga / L.L.M./ Jyotirvigyan courses also. Age limit will also not be there for part-time courses and courses offered via distance mode.

1.3 Non-Eligibility for Admission

- 1.3.1 If the age is more than the requisite age.
- 1.3.2 The applicants appearing in supplementary examination of the qualifying examination .
- 1.3.3 An applicant already holding a Master's degree from a faculty shall not be eligible for the admission to a programme at same level in the same faculty as a regular candidate. Furthermore a candidate, who has taken admission earlier in any course but left the course in between, due to whatever reason/s, will not be given regular admission in the same course.
- 1.3.4 An applicant convicted by the court of law in India or outside or one against whom a case is pending in the court of law or a person against whom disciplinary action has been taken by Jiwaji University or any other University shall not be eligible for admission.
- 1.3.5 A full time government employee/non-government employee cannot take admission in courses run during working hours. However, they can take admission in courses run after regular working hours. For the same they will have to produce a No Objection Certificate (NOC) form their employer.

1.4 Weightage in Admission Index

1.4.1 **A weightage of 5% (of the index)** in index shall be given to the candidate, in both categories of the courses (entrance & non-entrance based), holding following certificates:

- i. 240 hours participation in NSS activities at University level or B/C Certificate.
- ii. NCC "C" Certificate.
- iii. Cultural activities at Inter-University level / National level.
- iv. Sports activities at Inter-University level / National level.
- v. Qualifying exam from Jiwaji University or other Universities of M.P.

Note : In any case, the total weightage would not exceed 5% of the index. For entrance test based courses the marks obtained in the test will be treated as index for calculation of weightage. Weightage will not be used for eligibility. It will only be used to assign merit. In order to claim weightage requisite certificates should be enclosed alongwith the form. Any certificate produced after submission of forms will not be take into consideration.

1.4.2 Physically handicapped candidates will be given a weightage of 10% in marks obtained in qualifying examination/score of entrance exam, before calculating their index for admission.

1.4.3 Candidates who have done B.Sc. / B.A. / B.Com. honours will be given a weightage of 10% in marks obtained in qualifying examination before calculating their index for admission.

1.5 Rules regarding allotment of Specialisation -

Wherever there is a provision of a number of specialisations/special paper, in a subject, the following criteria will be adopted to allot the specialisation/special paper :

1.5.1 Number of seats in each specialisation shall be equal. Depending upon the availability of students in III-semester, their exact number will be decided.

1.5.2 Allotment of a specialisation/special papers shall be done on the basis of his / her choice cum merit. The merit will be decided on the basis of the aggregate marks obtained in the preceding semesters.

1.5.3 The University reserves the right to run or not to run a specialisation.

1.6 Admission to N.R.I and Sponsored seats -

1.6.1 For admission to N.R.I. seats candidates should have minimum required percentages in qualifying exams. He/She is not required to appear in written exam.

1.6.2 For **admission to sponsored** seats the candidate should have the minimum eligibility as laid down for respective courses. However, he/she will not be required to appear in the entrance test. The candidate will be required to produce the sponsorship letter from his / her employer before counselling.

1.6.3 Candidates will be considered sponsored only if they secure sponsorship from foreign / Indian / state government and the institution/s directly or indirectly under their control or if the fees is paid in foreign currency for the payment seat.

1.6.4 The candidate will have to apply on the application form attached with this prospectus and will have to pay the fee as prescribed for payment seat alongwith a sponsership fee of Rs 25000/- at time of admission. He/she will be required to take leave for the duration of the course.

1.7 Others

1.7.1 Additional information regarding rules for admission, if any, is included separately in the Prospectus under respective courses.

2. Reservation Policy and Conversion of Seats

2.1 Reservation of seats in courses offered by the Univeristy will be in accordance with the policy of Madhya Pradesh Government. The benefit of reservation will only be applicable only to the **domiciles of Madhya Pradesh.**

- 2.2 Of the total seats, 16 percent and 20 percent seats in courses will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribes (ST) respectively. Seats of both these categories are interchangeable.
- 2.3 Of the total seats in a course, 14 percent seats will be reserved for applicants from OBC category (except who are in creamy layer).
- 2.4 Combined horizontal reservation of 3 percent of the total seats in all categories will be for sons, grandsons, daughters and grand daughters of freedom fighters, for sons and daughters of defence personnel died or disabled in war and physically handicapped. A combined merit will be prepared after giving a weightage of 10 percent to candidates belonging to physical handicap category.
- 2.5 A horizontal reservation of 3 percent of the total seats will be given in all categories to applicants from *Nikshaktjan* category.
- 2.6 A horizontal reservation of 30 percent of the total seats will be for women applicants.
- 2.7 Two extra seats will be created in each course (except in course where admissions are made by an external agency like DTE etc.) for the following:
- 2.7.1 One seat for wards of regular teachers and officers of the University and
- 2.7.2 One seat for wards of regular Class III and Class IV employees of the University.
(Ward here would mean husband, wife, son, daughter and dependent real brother/sister of the employee/teacher/officer. In this respect a certificate from the Registrar, Jiwaji University, Gwalior/Competent authority shall be required)
- 2.8 If any reserved category candidate gets placed in general/open list on merit then the seat in reserved category will be un-effected, but if applicant belongs to the category such as Freedom Fighter (FF) etc., the seat reserved in that category will be treated as filled up.
- 2.9 If less than half seat falls under reservation then the seat will not be available, but in case the proportion of seat is between half and one it will be treated as one.
- 2.10 If reserved seats remain vacant till the last date of admission, the seat will be converted to open competition on the basis of merit.
- 2.11 To avail benefit of reservation a certificate from a Competent Authority should be produced .
- 2.12 The candidate (applicants) must indicate explicitly the category for which he / she wants avail the advantage of reservation for admission . This option will, in no case , be allowed to be changed.
- 2.13 The candidate admitted under NRI category will not be transferred to any other category unless he/she has qualified entrance test and stands in merit.
- 2.14 Conversion of vacant seats among reserved categories (SC / ST / OBC) will be done as per M.P. Government directives. A seat remaining unfilled, after the completion of conversion process, shall be treated as unreserved and will be filled from candidates belonging to unreserved category. The mutual conversion will be applicable within the categories of SC and ST only. The process of conversion of vacant seats reserved for SC/ST/OBC seats will take place as mentioned in point no. 4.1.4.

3. How to Apply?

- 3.1 Firstly a student should obtain a Prospectus. The cost of the Prospectus is Rs. 500/- (by post it costs Rs. 570/-) and application form is appended to it. Prospectus can be obtained by making a cash payment of Rs. 500/- at the cash counter of the University or by sending a bank draft of Rs. 570/- drawn in favour of Registrar, Jiwaji University and payable at Gwalior along with a request to the following address : **Registrar, Jiwaji University, Gwalior – 474 011 (MP).**
- 3.2 The following application forms are provided alongwith this Prospectus.

- i. **Five forms (all carrying same number)** for admission to **test based courses and non-test based courses**. (A student can apply for admission in upto five courses)
 - ii. **One form** for Physical education courses.
 - iii. A computer **DATA SHEET** (*to be filled by the candidate carefully*).
- 3.3 The candidate is advised to make a careful note of the serial number on the application form which should be the same as that on the prospectus and on the admit card. The serial number of prospectus and admit card will be roll number for entrance based courses. Candidates should ensure that serial number mentioned on all the three documents viz., Application Form, Prospectus and Admit Card, is same. In case of any discrepancy kindly intimate the University.
- 3.4 This serial number must be quoted in all future correspondence with the university. The candidate should detach this card and preserve it for appearing in the entrance examination. **No separate Roll number or duplicate admit card will be issued.**
- 3.5 **Do affix self**-attested photographs at designated places in application form.
- 3.6 A candidate can get departmental Profile on the pages ahead in this bulletin.
- 3.7 **Filling up Application Form and Computer Data Sheet -**
- 3.7.1 Enter all the information sought in the appended computer sheet in prospectus. While applying, write the names of all courses in which admission is sought in the computer sheet, in order of preference, along with their respective code numbers.
 - 3.7.2 Write boldly at the top of the application form the name of the subject in which admission is to be sought.
 - 3.7.3 If a candidate fails to enter a preferred course in computer data sheet then he/she will lose the opportunity of admission in that course.
 - 3.7.4 A candidate will himself/herself be liable for entering incorrect details regarding his/her caste.
- 3.8 Last date for receipt of completed application forms in the University office is **June 25, 2010**. Late submission will require deposition of **Rs. 500/-** in addition to the cost of the prospectus till **June 28, 2010**.
- 3.9 For every course, **Rs. 200/-** as Registration fee should be deposited via cash or bank draft (For ex. – If candidate applies for three courses he needs to deposit **Rs. 600/-**).
- 3.10 Applications for admission shall not be accepted after the last date as notified by the University.
- 3.11 Application forms provided with this prospectus are nontransferable and can be used by only one candidate. *Use of these forms by more than one applicant will result in their disqualification from candidature.*
- 3.12 Complete the computer sheet **very carefully** by filling all the relevant information as required.

4. **Particulars of Admission Process to Various Courses**

All the courses being run by the University can be classified into two categories from the viewpoint of admission test

Category - I Entrance Test Based Courses

Category - II Non-Entrance Test Based Courses

Details concerning admission to each category of courses is given below :

4.1 Category - I Admission to Entrance Test Based Courses

The details of entrance test conducted by the University for admission to courses in these courses are as under

Course	Format of Entrance Test (Admission Index will be based on the total marks obtained in tests mentioned in front of a course)	Date & Time of Entrance Test and Declaration of Results	Date of Counselling Time - At 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar
Graduate BBA /LLB (Hons) / BCA / BTM	a. General Knowledge 25 Marks b. General English 25 Marks c. Numerical Ability 25 Marks d. Reasoning 25 Marks (25 questions in every section, total 100 questions) Level - 10+2 Total Time – 90 minutes	Test : 09.30 – 11:00 AM on June 30, 2010 Result Declaration Evening June 30, 2010	Counselling For all categories - July 01, 2010 For all categories (Vacant seats) July 02, 2010
Post Graduate (Maths Group) M.Sc. in Instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA) / Industrial Chemistry / Environmental Chemistry	Paper - I General (Compulsory) a. Proficiency in English 25 Marks b. General Reasoning and General Intelligence 25 Marks c. General Awareness and General Science 25 Marks d. Numerical Ability 25 Marks (25 questions in every section, total 100 questions) Level - The level of (a), (b) and (c) above will be mainly as per the foundation course of undergraduate level of M.P. Universities and for section (d) will be related to elementary mathematics. Total Time – 90 Minutes	Test : 09.30 – 11:00 AM on July 04, 2010	Counselling for MBA courses All categories July 07, 2010 Counselling for M.Sc. courses All categories July 08, 2010 Counseling for Reserve categories July 09, 2010
	Paper - II Elective (Mathematics Group) - Required to attempt any two papers a. Physics 150 Marks b. Chemistry 150 Marks c. Mathematics 150 Marks d. Electronics 150 Marks e. Computer Science 150 Marks (Total 75 questions) Level - Graduate Total Time - 150 Minutes	Test : 11.30 AM – 2:00 PM on July 04, 2010 Result Declaration Evening July 06, 2010	Counseling for (Vacant seats) July 10, 2010
(Life Sciences Group) M.Sc. in Biomedical Technology/ Microbiology/ Neuroscience/ Food Technology/ Biotechnology/ Industrial Chemistry/ Instrumentation &	Paper - I General (Compulsory) a. Proficiency in English 25 Marks b. General Reasoning and General Intelligence 25 Marks c. General Awareness and General Science 25 Marks d. Numerical Ability 25 Marks (25 questions in every section, total 100 questions) Level - The level of (a), (b) and (c) above will be mainly as per the foundation course of undergraduate level of M.P. Universities and for section (d) will be related to elementary mathematics. Total Time – 90 Minutes	Test : 09.30 – 11:00 AM on July 04, 2010	Counseling for MBA courses All categories July 07, 2010 Counselling for M.Sc. courses All categories July 08, 2010 Counseling for Reserve categories

Course	Format of Entrance Test (Admission Index will be based on the total marks obtained in tests mentioned in front of a course)	Date & Time of Entrance Test and Declaration of Results	Date of Counselling Time - At 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar																					
Commercial Methods of Analysis (MICA), Molecular Human Genetics (MHG)/ Pharmaceutical Chemistry	Paper - II Elective (Biology Group) - Required to attempt any two papers a. Chemistry 150 Marks b. Zoology 150 Marks c. Botany 150 Marks d. Microbiology 150 Marks e. Biotechnology 150 Marks (Total 75 questions) Level - Graduate Total Time - 150 Minutes	Test : 11.30 AM – 2:00 PM on July 04, 2010 Result Declaration Evening July 06, 2010	July 09, 2010 Counseling for (Vacant seats) July 10, 2010																					
Post Graduate – M.B.A. MBA CSMM, MBA Financial Administration, MBA Tourism Administration, MBA Business Economics, MBA HRD, MBA E-Commerce, MBA Hospital Admn., MBA Heritage Tourism Management	Paper - I General (Compulsory) a. Proficiency in English 25 Marks b. General Reasoning and General Intelligence 25 Marks c. General Awareness and General Science 25 Marks d. Numerical Ability 25 Marks (25 questions in every section, total 100 questions) Level - The level of (a), (b) and (c) above will be mainly as per the foundation course of undergraduate level of M.P. Universities and for section (d) will be related to elementary mathematics. Total Time – 90 minutes Paper - II a. Interview and Group Discussion 10 Marks each	Test : 09.30 – 11:00 AM on July 04, 2010 From 08.0 AM- 2.30 PM on July 05, 2010 Result Declaration Evening July 06, 2010	Counseling for MBA courses All categories July 07, 2010 Counseling for M.Sc. courses All categories July 08, 2010 Counseling for Reserve categories July 09, 2010 Counseling for (Vacant seats) July 10, 2010																					
Physical Education and Aerobics B.P.Ed., M.P.Ed. and CAF	Paper - I <table border="1" data-bbox="488 1304 1000 1381"> <thead> <tr> <th></th> <th>B.P.Ed.</th> <th>M.P.Ed.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Written Test</td> <td>100 Marks</td> <td>100 Marks</td> </tr> <tr> <td>Time</td> <td>02 Hour</td> <td>02 Hours</td> </tr> </tbody> </table> Level : B.P.Ed. - General Knowledge in Sports, Physical Education and Aerobics M.P.Ed. - B.P.Ed. Level (For detailed information kindly refer to particulars of SoS in Physical Education) Paper - II <table border="1" data-bbox="488 1608 1000 1843"> <thead> <tr> <th></th> <th>B.P.Ed.(Marks)</th> <th>M.P.Ed.(Marks)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motor Fitness Test</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Sports Performance Test</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Group Discussion</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		B.P.Ed.	M.P.Ed.	Written Test	100 Marks	100 Marks	Time	02 Hour	02 Hours		B.P.Ed.(Marks)	M.P.Ed.(Marks)	Motor Fitness Test	100	100	Sports Performance Test	100	100	Group Discussion	10	10	Test – 09.30 – 11:30 AM on July 11, 2010 Physical fitness and mortar test July 12-14, 2010 from 6:00 AM onwards at University Sports Ground Result Declaration - Evening July 14, 2010	Counseling For all categories July 15, 2010
	B.P.Ed.	M.P.Ed.																						
Written Test	100 Marks	100 Marks																						
Time	02 Hour	02 Hours																						
	B.P.Ed.(Marks)	M.P.Ed.(Marks)																						
Motor Fitness Test	100	100																						
Sports Performance Test	100	100																						
Group Discussion	10	10																						

Course	Format of Entrance Test (Admission Index will be based on the total marks obtained in tests mentioned in front of a course)			Date & Time of Entrance Test and Declaration of Results	Date of Counselling Time - At 09.30 A.M. Place - Galav Sabhagar
	Personality Test and Interview	10	10		
	Personal Sports Achievements	(Depending on the level of events - 03 to 30 marks)			
	Medical Fitness Test*	Fit	Fit		
	(For detailed information kindly refer to particulars of SoS in Physical Education) * For only those students who secure place in final admission list.				

In order to qualify for MBA and M.Sc. Courses a candidate must secure in test at least 30% (25% for SC / ST / OBC) marks in paper I & II taken together.

- 4.1.1 The candidates are required to answer on Optical Response Sheet (OMR) with HB Pencil, which will be evaluated by OMR machine. They are, therefore, advised to bring HB PENCIL & ERASING RUBBER on the day of examination.
- 4.1.2 The list of successful candidates will be prepared in accordance of their merit in entrance test. The list will be prepared for General and Reserved category, separately. **However, if a candidate of reserved category find his/her merit in both the lists, he/she will have choice to opt any of these.**
- 4.1.3 In the event of more than one candidate standing at the same index, following order of preference will be observed.
 - i. Candidate having passed the qualifying examination from Jiwaji University.
 - ii. Candidate having passed the qualifying examination from other university of M.P.
 - iii. Candidate having passed the qualifying examination from outside M.P.
 - iv. Candidate having passed the qualifying examination in 2010.
- 4.1.4 **Counselling**
 - 4.1.4.1. Counselling for the admissions will be held on scheduled time at Galav Sabhagar. The admission will be finalised then and there at the time of counselling. **Therefore, the candidates qualifying for counselling must report to the counselling team in the Galav Sabhagar alongwith the Draft of the required fees in the name of the Registrar, Jiwaji University, Gwalior.** Applicants who fail to appear for counselling will forfeit their claim for admission.
 - 4.1.4.2. The candidate is required to be **present personally** before the counselling team. He/she should bring all the documents i.e., marksheets / degree pertaining to eligibility in original as well as proof (in original) of having passed the qualifying examination.

- 4.1.4.3. On July 01-02, 2010 and July 07-10, 2010 counselling shall be held for all graduate courses and post-graduate courses (except physical education), respectively as per merit for the unreserved seats from the common merit list. Candidates from the reserved category who qualify for these seats shall be admitted on unreserved seats provided they give option for the same. A Waiting List shall be prepared for each course. In this list names of only those students will be included who reports on the day of counselling but could not get admission in the course for which they applied. These waiting lists shall be used for admission to vacant seats subsequently.
- 4.1.4.4. After completion of counseling process for unreserved seats on July 01, 2010 for graduate courses, the counselling for reserved category seats will commence on the same day on the basis of the respective merit lists. The candidates from reserved category who could not get admission earlier will participate in it. After the counseling, when the list of successful SC/ST/OBC candidates from these categories gets exhausted and seats still remain vacant on July 01, 2010, evening will be converted to unreserved category. An announcement in this regard will be made by the Registrar, Jiwaji University, Gwalior or any other Officer authorised to do so, at 05.30 PM on the same day. On July 02, 2010 counselling for vacant seats will be done from the waiting list prepared earlier.
- 4.1.4.5. Similarly, after completion of counselling process for unreserved seats on July 07-08, 2010 for post-graduate courses (except Physical Education Courses), the counselling for reserved category seats will commence on July 09, 2010 on the basis of the respective merit lists. The candidates from reserved category who could not get admission on the first two days of counseling will participate in it. After the counseling, when the list of successful SC/ST/OBC candidates from these categories gets exhausted and seats still remain vacant on July 09, 2010, evening will be converted to unreserved category. An announcement in this regard will be made by the Registrar, Jiwaji University, Gwalior or any other Officer authorised to do so, at 05.30 PM on July 09, 2010. Afterward on July 10, 2010, counselling for vacant seats will be done from the waiting list prepared earlier.
- 4.1.4.6. For the counseling for vacant seats for graduate courses on July 02, 2010 and for post-graduate courses (except physical education) on July 10, 2010 only those candidates will be allowed to participate who have reported on earlier days and their name is included in the waiting list. To find a place in waiting list, candidates are advised to enter their names in Reporting Register, which will be available at the counselling venue. Candidates who due to any reason whatsoever fail to enter their names in the Reporting Register will not find place

in waiting list. If a candidate fails to do the requisite, no claims will be entertained in this regard.

- 4.1.4.7. However, **candidates who have appeared** in the qualifying examination and their final result is awaited can be given provisional admission provided they are in the merit list and their aggregate percentages in the semesters/years before the pending examination results are more than the minimum required in the concerned course. They are required to give an undertaking to the effect that their admission may be deemed cancelled in case they fail to produce their result of qualifying examination, with required eligibility percentages, by **July 27, 2010** . In such cases there will be no refund of fee deposited and the given admission will stand cancelled.
- 4.1.4.8. After the counselling, if Counsellors are convinced, he/she shall be issued an admission slip upon production of which he / she shall be entitled to deposit the requisite fee at the University fee counter immediately. After depositing fee the candidate has to submit one copy of the receipt with the concerning Department.
- 4.1.4.9. In case any of these conditions is not fulfilled the candidature will be cancelled automatically.
- 4.1.4.10. In case a candidate fails to deposit **full fee** on the day/time of counselling then he/she will lose his/her candidature for admission and his/her seat will be allotted to the next candidate in the list. Further, after depositing the fees, if a candidate does not report back to the Department along with the fee receipt then his/her case will be treated as nonacceptance of the offered admission and the offer will stand withdrawn.
- 4.1.4.11. In case where any open seat (non-payment category) falls vacant in any course first right to fill that open seat will rest with the candidate who is first in merit in payment category.
- 4.1.4.12. Efforts will be made to complete the counselling by the same day. However, it may continue on the next day. The candidates are advised to come prepared accordingly. All the candidates are required to remain present during all the counselling days / hours at the venue. **Failing to report at the time of call, the candidate will forfeit his / her claim for admission.**

4.2 Category - II Admission to Non-Entrance Test Based Courses

4.2.1 List of Courses

University conducts following courses in this category –

	Level	Course		
1.	Graduate	B.Lib.I.Sc.		
2.	Post Graduate	M.Lib.I.Sc.	M.Sc. in Physics	M.Com.
		M.A. in English	M.Sc. in Chemistry	M.A. in History
		M.A. in French	M.Sc. in Mathematics	M.A. in Political Science
		M.A. in Hindi	M.Sc. in Zoology	M.A. in Public Adm.
		M.A. in Sanskrit	M.Sc. in Botany	M.A. in Economics
		M.A. Music-Vocal / Dance	M.Sc. in Geology	L.L.M.
		M.A. in Extension Education & Social Work	M.Sc. in Environmental Science	M.A. in Ancient Indian History, Culture & Archaeology
		M.A. Education	Master of Journalism & Mass Comm. (MJMC)	M.Sc. in Biochemistry
		M.Sc. in Computer Science	M.Sc. in Electronics	
		M.Sc. Tech. (Industrial Maths with Computer Application)	M.Sc. Remote Sensing and GIS	
		M.Sc. Bio Physics	M.Sc. Medicinal Plant & Herbal Resource Mngt.	
3.	P.G. Diploma	Marketing Management, Advertising and Sales Administration	Museology	Personnel Management
			Computer Applications	Yoga Therapy
4.	Diploma	Music / Dance	English	Sanskrit
		French	Human Rights	
5.	Certificate	French	English	Yoga
		Sanskrit		
6.	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) (each of TWO years duration), MBA(General), P.G. Diploma in : Psychological Counselling, Computer Applications		

4.2.2 Admission Process &

The rules and regulations for admission in above listed courses are as below :

4.2.2.1. Admission to these courses shall be on the basis of merit through counselling. The merit for admission shall be decided on the basis of Merit **Index prepared on the basis of marks obtained in qualifying examination.** .

4.2.2.2. Rule to Derive Index -

- i. For the subjects in Schools of Studies of Sciences and Life Sciences, listed above, a sum of total percentage of aggregate marks in B.Sc. and total percentage of aggregate marks in theory of the respective subject in Parts I, II, III (all combined) shall form the Index Number. Finally, the Index Number is to be represented out of 100.

- ii. For the subjects under Social Sciences and Commerce, a sum of total percentage of marks in theory of B.Sc./B.A./B. Com. (All the Three years' combined) shall form the index number.
- iii. Admission to B.Lib.I.Sc. shall be based upon percentage secured in qualifying examination. For the purpose of admission, higher marks secured at graduate level or post graduate level shall be included in the Index for admission.
- iv. For admission in M.Lib.I.Sc., marks secured in B.Lib.I.Sc. course or any degree recognized as B.Lib.I.Sc. shall be included in the Index.
- v. For various Under Graduate Degree, Diploma and Certificate courses the merit list will be prepared on the basis of aggregate marks of Higher Secondary Examination (10+2).

4.2.2.3 In the event of more than one candidate standing at the same index, following order of preference will be observed.

- i. Candidate having passed the qualifying examination from Jiwaji University.
- ii. Candidate having passed the qualifying examination from other university in M.P.
- iii. Candidate having passed the qualifying examination from outside M.P.
- iv. Candidate having passed the qualifying examination in 2010.

4.2.3 **Counselling**

- 4.2.3.1. The list of the candidates eligible for admission in order of merit in the ***Non-Entrance-Test-Based Courses*** (Category II) will be displayed on the Notice Boards of the respective Schools of Studies on **July 07, 2010** by the evening and such candidates shall be eligible for counselling.
- 4.2.3.2. All the eligible candidates whose names appear in the above mentioned lists shall report for counselling in the respective School of Studies on **July 10, 2010 at 12:30 A.M.** He/she is required to bring following original documents alongwith a photocopy of each:
 - a. Mark sheets of all years/semester of qualifying exams;
 - b. Transfer Certificate;
 - c. Original copy of Eligibility Certificate (Only those candidates who have passed qualifying exam from other University);
- 4.2.3.3. Admission of such candidates will be decided then and there at the time of counseling and they will be required to **deposit the fees immediately** after the issue of the admission slip. Therefore, the candidates reporting for counselling must bring the **Demand Draft of the required fees** in the name of the **Registrar, Jiwaji University, Gwalior** which must be

deposited to the University immediately. After depositing the fees he/she should report back to the counselling team along with the fee receipt.

- 4.2.3.4. In courses **where the admissions are given on the basis of merit obtained** in qualifying examination, **provisional admission** can be given only if the seats are vacant and no candidate is available with required eligibility. But in such cases their aggregate percentages in the semesters/years before the pending examination results should be more than the minimum required in the concerned course. They are required to fetch an undertaking to the effect that their admission may be deemed cancelled in case they fail to produce their result of qualifying examination with required eligibility percentages by **July 27, 2010**. In such cases there will be no refund of fee deposited and the admission will stand cancelled.
- 4.2.3.5. In case any of these conditions is not met, the candidature will be cancelled automatically.
- 4.2.3.6. In case a candidate fails to deposit fees on the day/time of counselling then he/she will lose his/her candidature for admission and his/her seat will be allotted to the next candidate in the list. Further, after depositing the fees, if a candidate does not report back to the counselling team along with the fee receipt then his/her case will be treated as nonacceptance of the offered admission and the offer will stand withdrawn.
- 4.2.3.7. If a candidate is absent on the day of counselling, he/she will be marked absent and will lose his/her candidature for admission.

5. Location of Entrance Test

- 5.1 **Test of Entrance Test Based Courses will be conducted in the University.** Exact location will be notified on the notice boards of Galav Sabhagar, Enquiry Office etc.
- 5.2 Admission process of Non- Entrance Test Based Courses will be conducted at respective departments.

6. Refund of Fee

- 6.1 If any candidate leaves the course before the **last counselling day** the fee will be returned to him/her after deducting 10% of the fees deposited by him/her, but in case he leaves any course after the said date only caution money will be refunded.
- 6.2 If the candidate seeks admission to another course till **last counselling day** the fees may be transferred to that course after deducting 10% of the total fee deposited. Thus, the candidate will be required to pay only 10% of the fee extra. No change in the subject /course will be permitted after **last counselling day**. Applicant will be permitted to change his course only once.
- 6.3 In cases where candidates have fetched an undertaking to the effect that their admission may be deemed cancelled in case they fail to produce their result of qualifying

examination with required eligibility percentages by **July 27, 2010** there will be no refund of deposited fee.

6.4 If A candidate desire to cancel his/her admission before the last counselling, after deducting 10 % of the total fees of the course his/her fees will be refunded. However, if he/she apply for refund after the date of last counselling he/she will get only the caution money refunded. The last date of counselling will be the date as notified in this bulletin or any other date notified by the university.

7. Other Important Points

7.1 Any situation, not covered by provisions mentioned in this Prospectus shall be referred to the Admission Committee which will work within the ambit of Acts, Statutes and Ordinances of Jiwaji University, Gwalior and its decision shall be final.

7.2 The legal disputes, if any, shall be settled in the within the legal jurisdiction of Gwalior.

7.3 University reserves the right to start or not to start any of the courses mentioned in this prospectus.

7.4 For few courses of the University, entrance exam is conducted by the agency as shown in the table below -

S.No.	Courses	Agencies that conduct Entrance Test
1-	B.E. Chemical/B.E. Electronics	M.P.- P.E.T. conducted by M.P. Professional Examination Board, Bhopal.
2-	M.C.A. and M.B.A.	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3-	B.Pharma	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.

The students who take admission through entrance test conducted by any external agency mentioned above will be required to procure and fill admission form of the Jiwaji University at the time of reporting for admission in the university.

7.5 Ragging, teasing, torturing or making nuisance in any way in or outside the campus have been declared as a serious offence and strict action shall be taken against those who would be found involved in such activities.

7.6 If any incident of ragging comes to the notice of the University, the concerned student shall be given liberty to explain and if his/her explanation is not found satisfactory, the University would expel him/her from the institution.

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता –

- 1.1.1 विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण में इसी विवरणिका में दी गई है। म0प्र0 के मूल रूप से निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में **5 प्रतिशत** की छूट प्रदान की जायेगी। निःशक्तजनों (म0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में **5 प्रतिशत** की छूट दी जायेगी।
- 1.1.2 निर्धारित अर्हता प्रतिशत के आवेदक के उपलब्ध न होने के कारण, कतिपय पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो, ऐसे आवेदक जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं को प्रवेश दिया जायेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके कि अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो।
- 1.1.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके अन्तिम प्रवेश परिणाम बिन्दु क्रमांक 4प1प4प7 एवं 4प2प3प4 से निर्देशित होंगे।
- 1.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें इस विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 1.1.5 नये प्रवेश, पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही किये जायेंगे अन्य सेमेस्टर/सत्र के मध्य में नहीं।

1.2 आयु सीमा –

मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 01 जुलाई, 2010 को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा **22 वर्ष** तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु **27 वर्ष** निर्धारित है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अपंग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। निशक्त जन वर्ग के आवेदकों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी। राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रत्याभूतित छात्रों के लिये अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। ऐसे छात्र जो पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में करते हैं एवं महिला/छात्रा अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। एल.एल.एम., योग एवं ज्योतिर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। पार्ट टाइम एवं

दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

1.3 प्रवेश हेतु अपात्रता—

- 1.3.1 जिनकी आयु, निर्धारित आयु सीमा से अधिक है ।
- 1.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ।
- 1.3.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणोंवश अध्ययन जारी नहीं रखता है, या छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 1.3.4 ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी सक्षम न्यायलय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं या जिनके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।
- 1.3.5 सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते जो कार्यालयों के कार्यालयीन समय पर चलते हैं । फिर भी वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जो नियमित कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं जिसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.4 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता —

- 1.4.1 निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश सूचकांक में 5: का अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार प्रवेश परीक्षा आधारित एवं बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।
 - (i) एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य करने सम्बन्धित या बी/सी प्रमाण-पत्र ।
 - (ii) एन0 सी0 सी0 का सी सर्टिफिकेट ।
 - (iii) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता ।
 - (iv) खेल-कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय / अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता ।
 - (v) अहर्ताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो ।

नोट – किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 05: से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही सूचकांक (Index) की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। लाभदेयता का उपयोग अर्हता में नहीं किया जायेगा केवल वरीयता क्रम निर्धारित करने में किया जायेगा । लाभदेयता से लाभान्वित होने हेतु सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र जमा करने के पश्चात् जमा किये गये प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।

- 1.4.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी ।

- 1.4.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उन्हें भी उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।
- 1.5 **विशिष्टीकरण (Specialisation) देने संबंधी नियम –**
ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को लेने का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न-पत्रों में प्रवेश का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –
- 1.5.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 1.5.2 विशिष्टीकरण का आवंटन मेरिट तथा व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट, पिछले सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 1.5.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1.6 **एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –**
- 1.6.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त आवेदकों का प्रवेश उस पाठ्यक्रम एवं संवर्ग के लिये निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत होना अनिवार्य है। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 1.6.2 प्रायोजित सीट्स पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। काउन्सिलिंग से पहले एक अभियर्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा
- 1.6.3 उन्हीं अभियर्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रायोजित किया गया हो या उनके द्वारा पेमेंट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- 1.6.4 उक्त आवेदकों को विवरणिका से साथ संलग्न आवेदन-पत्र में आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रु. 25,000/- पेमेंट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।
- 1.7 **अन्य –**
- 1.7.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से की गयी है।
2. **सीटों का आरक्षण**
- 2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।
- 2.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।
- 2.3 पिछड़े वर्ग के (चिकनी परत को छोड़कर) आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

- 2.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (कममिदबम चमतेवददमस) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 2.5 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिए 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 2.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे ।
- 2.7 बाह्य संस्थाओं जैसे (क्व आदि) द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निर्मित होंगे ।
- 2.7.1 एक स्थान विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए ।
- 2.7.2 एक स्थान विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए ।
वार्ड्स का आशय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है । इस बावत् कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदेशित प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय होगा ।
- 2.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी ।
- 2.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।
- 2.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
- 2.11 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा ।
- 2.12 उम्मीदवार (अभ्यर्थी) द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाय । इस विकल्प की किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।
- 2.13 जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0 आर0 आई0 सीट पर हुआ है, उनका स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर नहीं किया जायेगा । लेकिन उसने अगर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा वह मेरिट सूची में प्रवेश हेतु पात्रता रखता है तो वह अपना स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर करा सकता है ।
- 2.14 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर उनका परस्पर रूपान्तरण मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार किया जायेगा । **परस्पर रूपान्तरण की प्रक्रिया** के पश्चात् भी अगर स्थान रिक्त रह जाते हैं तो इनको अनारक्षित माना जायेगा तथा वह

विश्वविद्यालयीन नियमों के अनुसार भरी जा सकेगी। परस्पर रूपान्तरण केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये रिक्त आरक्षित स्थान के बीच किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए खाली रह गए आरक्षित स्थानों का रूपान्तरण काउन्सलिंग की सांय 05.30 बजे किया जायेगा ।

- 2.15 एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त काउन्सलिंग की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी का किसी अन्य वर्ग में स्थानान्तरण नहीं होगा ।

3. आवेदन कैसे करें ?

- 3.1 प्रथमतः छात्र विवरणिका हेतु आवेदन कर इसे प्राप्त करें । इस विवरणिका की कीमत 500/- रुपये (डाक द्वारा मंगाने पर 570/- रुपये) है एवं इसी में आवेदन-पत्र संलग्न है। डाक से मंगाने हेतु 570/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय के पक्ष में देय हो एवं ग्वालियर में भुगतान हेतु जारी हुआ हो, को निम्न पते पर भेजकर मंगाया जा सकता है –

कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0) – 474 011

विवरणिका जीवाजी विश्वविद्यालय के केश काउण्टर पर 500/- रुपये का भुगतान करके भी प्राप्त की जा सकती है ।

- 3.2 विवरणिका के साथ निम्न आवेदन पत्र दिये जा रहे हैं –

- 3.2.1 पाँच आवेदन पत्र (सभी पर एक ही नम्बर मुद्रित है) जिन पर कि आपको चाहे गये पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करना है। यह फार्म प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों एवं बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों दोनों के लिये है। (छात्र एक बार में पाँच पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है)

- 3.2.2 एक आवेदन पत्र शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये ।

- 3.2.3 कम्प्यूटर डाटा शीट (उल्लेखित समस्त प्रविष्टियों की जानकारी भरना छात्रों को अनिवार्य है) ।

- 3.3 प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर मुद्रित सरल क्रमांक का विशेष रूप से ध्यान रखना है । आवेदन-पत्र का सरल क्रमांक एवं विवरणिका एवं प्रवेश पत्र पर अंकित क्रमांक समान होना चाहिए । यह सरल क्रमांक ही प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में उसका रोल नम्बर होगा। अभ्यर्थी विवरणिका प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त तीनों प्रपत्रों पर यह नम्बर एक समान है या नहीं। अगर तीनों प्रपत्रों पर मुद्रित नम्बर में कोई अन्तर है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय कार्यालय को अवश्य दें।

- 3.4 विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय इस नम्बर का उल्लेख अवश्य करें। आवेदन पत्र भेजते समय प्रवेश पत्र को पृथक कर लिया जावे तथा उसे प्रवेश परीक्षा देते समय अपने साथ लावे। दूसरा रोल नम्बर या प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

- 3.5 स्वप्रमाणित फोटो प्रवेश फार्म पर यथास्थान चस्पा करें।

- 3.5.1 विभाग संबन्धी विवरण संबन्धित विभाग के लिए निर्धारित पृष्ठों से प्राप्त की जा सकता है। छात्र विस्तृत जानकारी, विभागाध्यक्ष अथवा सम्पर्कव्यक्ति से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

3.6 आवेदन पत्र एवं कम्प्यूटर डेटा शीट का भरना –

3.6.1 विवरणिका के साथ संलग्न कम्प्यूटर डाटा शीट को पूर्णतः भरा जाये । जितने पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उन सभी के नाम वरीयताक्रम निर्धारित करते हुये इनके कोड नम्बर सहित लिखें जायें।

3.6.2 प्रत्येक आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर नियत स्थान में जिस पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश चाहा जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाये।

3.6.3 अगर अभ्यर्थी चाहा गया पाठ्यक्रम का नाम कम्प्यूटर डाटा शीट में अंकित नहीं करता है तो उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

3.6.4 जाति संबन्धी विवरण गलत भरने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

3.7 पूर्ण रूप से भरकर विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा होने की अन्तिम तिथि 25 जून 2010 है। विलम्ब शुल्क 500 रुपये के साथ यह फार्म 28 जून, 2010 तक विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।

3.8 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये आवेदन पत्र के साथ 200/– रुपये पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/नगद जमा करना अनिवार्य है (उदाहरण के लिए अगर कोई अभियर्थी तीन पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करता है तो उसे आवेदन-पत्र के साथ रु 600/– जमा करने होंगे)।

3.9 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3.9.1 विवरणिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र अहस्तान्तरणीय है, एवं उनका उपयोग केवल एक ही अभ्यर्थी कर सकता है। अगर इनका उपयोग एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है तो सभी के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे तथा वह प्रवेश परीक्षा के लिये अपात्र होंगे।

3.10 कम्प्यूटर डाटा शीट में अतिसावधानी से सभी जानकारियों की प्रविष्टि करें ।

4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की दृष्टि से दो वर्ग हैं –

वर्ग – 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

वर्ग – 2 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

उक्त वर्गों में भामिल होने वाले पाठ्यक्रम एवं उनमें प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार हैं –

4.1 वर्ग – 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया –

विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप (प्रवेश इन्डेक्स की गणना पाठ्यक्रमों के सन्मुख दर्शायी परीक्षाओं में प्राप्त अंको के योग पर होगी)	प्रवेश परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
स्नातक B.B.A./ B.C.A./ L.L.B (Hons)/ BTM	a. सामान्य ज्ञान 25 अंक b. सामान्य अंग्रेजी 25 अंक c. गणितीय योग्यता 25 अंक d. तर्क शक्ति 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – 10+02 कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 30, जून 2010, प्रातः 09.30–11.00 परिणाम घोषणा – 30, जुन 2010, सायं	काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 01 जुलाई, 2010 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 02 जुलाई, 2010
स्नातकोत्तर (गणित समूह) M.Sc. in instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA)/ Industrial Chemistry/ Environmental Chemistry	प्रथम प्रश्न पत्र – सामान्य (अनिवार्य) a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा। कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 04, जुलाई 2010, प्रातः 09.30–11.00	एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 07 जुलाई, 2010 एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए 08 जुलाई, 2010 आरक्षित वर्ग हेतु काउन्सिलिंग (जो प्रथम दिन प्रवेश नहीं पा सके) – 09 जुलाई, 2010 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 10 जुलाई 2010
	द्वितीय प्रश्न पत्र – विकल्पीय (गणित समूह) – प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न किन्हीं दो विषयों का चयन a. भौतिक शास्त्र 150 अंक b. रसायन शास्त्र 150 अंक c. गणित 150 अंक d. इलेक्ट्रॉनिक्स 150 अंक e. कम्प्यूटर साइंस 150 अंक (कुल प्रश्न 75) स्तर – स्नातक कुल समय – 150 मिनट	परीक्षा – 04, जुलाई 2010, प्रातः 11:30–2.00 परिणाम घोषणा – 06, जुलाई 2010, सायं	
(जीव विज्ञान समूह) M.Sc. in Biomedical Technology/ Microbiology/ Neuroscience/ Food Technology/ Biotechnology/ Industrial Chemistry/ Instrumentation & Commercial Methods of Analysis (MICA), Molicular Human Genetics (MHG)/ Environmental Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry	प्रथम प्रश्न पत्र – सामान्य (अनिवार्य) a. अंग्रेजी भाषा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक (प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100) स्तर – भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा। कुल समय – 90 मिनट	परीक्षा – 04, जुलाई 2010, प्रातः 11:30–2.00 परिणाम घोषणा – 06, जुलाई 2010, सायं	एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए – 07 जुलाई, 2010 एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गों के लिए 08 जुलाई, 2010 आरक्षित वर्ग हेतु काउन्सिलिंग (जो प्रथम दिन प्रवेश नहीं पा सके) – 09 जुलाई, 2010 सभी वर्गों के लिए (रिक्त स्थान) – 10 जुलाई 2010
	द्वितीय प्रश्न पत्र – विकल्पीय (जीव विज्ञान समूह) प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न किन्हीं दो विषयों का चयन a. रसायन शास्त्र 150 अंक b. जन्तु विज्ञान 150 अंक c. वनस्पति विज्ञान 150 अंक d. माइक्रो बायोलोजी 150 अंक e. बायोटेक्नोलॉजी 150 अंक (कुल प्रश्न 75) स्तर – स्नातक कुल समय – 150 मिनट		

वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य, दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है ।

4.1.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा—

- i अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
- ii अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
- iii अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है ।
- iv जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा 2010 में उत्तीर्ण की है ।

4.1.4 काउन्सलिंग

4.1.4.1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग निर्धारित समय पर गालव सभागार में शुरू होगी । काउन्सलिंग के समय ही अन्तिम रूप से प्रवेश दे दिया जायेगा । अतः प्रावीण्य सूची में अंकित छात्र काउन्सलिंग के समय निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट/नगद लेकर (गालव सभागार) के काउन्सलिंग हॉल में उपस्थित रहें । ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में तो है लेकिन वह काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो वह प्रवेश हेतु अपना अधिकार खो देंगे ।

4.1.4.2. अभ्यर्थी को स्वयं काउन्सलिंग टीम के समक्ष उपस्थित होना है । अभ्यर्थी को काउन्सलिंग के समय सभी मूल प्रपत्र जो कि उसकी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश की अहर्ता दर्शाते हैं, जैसे कि – अंक सूचियाँ/उपाधियाँ अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने अहर्ताकारी परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर ली है, के साथ उपस्थित रहना है ।

4.1.4.3. 01 जुलाई, 2010 को सभी स्नातक पाठ्यक्रमों तथा 07 जुलाई, 2010 को समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शारिरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को छोड़कर) के लिये मेरिट के आधार पर समस्त अनारक्षित स्थानों के लिये काउन्सलिंग होगी । आरक्षित श्रेणी का कोई छात्र जिसने अपना विकल्प इस हेतु दिया हो उसे इन स्थानों हेतु मेरिट के आधार पर योग्य पाये जाने पर अनारक्षित स्थान पर प्रवेश दिया जा सकता है । प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में केवल उन्हीं छात्रों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने काउन्सलिंग के दिवस उपस्थिति दर्ज कराई गई है परन्तु उन्हें उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता जिसमें उन्होंने आवेदन किया था । यह प्रतीक्षा सूची बाद में खाली हुए रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिये ही उपयोग में लायी जायेगी ।

4.1.4.4. 01 जुलाई, 2010 को स्नातक पाठ्यक्रम के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित स्थानों के लिये प्रावीण्य सूची के आधार पर उसी दिन काउन्सलिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी । जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्व में प्रवेश नहीं मिल सका है वे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं । काउन्सलिंग के पश्चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् ही 01 जुलाई, 2010 को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो शाम को इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा । इस संबंध में

कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा सांय 5:30 बजे घोषणा की जायेगी । 02 जुलाई, 2010 को रिक्त स्थानों के लिये पूर्व में बनाई गई प्रतीक्षा सूची से काउन्सलिंग की जायेगी ।

- 4.1.4.5. इसी प्रकार 07 जुलाई, 2010 को एम.बी.ए. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शाारिरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एवं 08 जुलाई, 2010 को एम.एस.सी. पाठ्यक्रमों हेतु काउन्सलिंग समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग की प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षित वर्ग के स्थानों हेतु काउन्सलिंग दिनांक 09, जुलाई 2010 को सम्पन्न होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो पहले दिन की काउन्सलिंग में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके, इस काउन्सलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं । काउन्सलिंग के पश्चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् ही 09 जुलाई, 2010 को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो शाम को इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा । इस संबंध में 09 जुलाई, 2010 को कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा सांय 5:30 बजे घोषणा की जायेगी तत्पश्चात् 09 जुलाई, 2010 को रिक्त स्थानों के लिये पूर्व में बनाई गई प्रतीक्षा सूची से काउन्सलिंग की जायेगी ।
- 4.1.4.6. 02 जुलाई, 2010 को स्नातक पाठ्यक्रमों तथा 10 जुलाई, 2010 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शाारिरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को छोड़कर) के रिक्त स्थानों हेतु काउन्सलिंग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने पूर्व में काउन्सलिंग की तिथियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तथा उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं । प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने के लिये अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काउन्सलिंग स्थान पर उपलब्ध उपस्थिति पत्रक में अपना नाम दर्ज करें, जो अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक में किसी कारणवश अपना नाम अंकित नहीं करेगा उसे प्रतीक्षा सूची में स्थान नहीं मिलेगा । यदि कोई अभ्यर्थी इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
- 4.1.4.7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अहर्ताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के समय प्राविधिक प्रवेश दिया जा सकता है, अगर उन्हांने प्रवेश हेतु मेरिट में स्थान बनाया है तथा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक हैं । किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम 27 जुलाई 2010 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा ।

- 4.1.4.8. परामर्श के दौरान परामर्शदात्री समिति के संतुष्ट होने पर वह अभ्यर्थी को एक पर्ची देगी जिसको दिखाकर अभ्यर्थी निर्धारित फीस, विश्वविद्यालय के कैंस काउन्टर पर उसी समय जमा करेगा। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा करेगा।
- 4.1.4.9. अगर अभ्यर्थी ऊपर वर्णित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसकी प्रवेश हेतु उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 4.1.4.10. अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सलिंग के दिन/समय सम्पूर्ण फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।
- 4.1.4.11. यदि कोई ओपन सीट किसी पाठ्यक्रम में खाली होती है तो उस दशा में उस सीट को भरने का प्रथम अधिकार उस छात्र का होगा जो पैमेंट सीट पर मैरिट में प्रथम स्थान पर है।
- 4.1.4.12. प्रयास यह होगा कि काउन्सलिंग एक दिन में ही पूर्ण कर ली जाये, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो उसे दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी इस परिस्थिति के लिये तैयार होकर आयें। सभी अभ्यर्थी काउन्सलिंग के दिन पूर्ण समय तक काउन्सलिंग हॉल में उपस्थित रहें। अगर वे उनका नाम पुकारे जाने के पश्चात् काउन्सलिंग टीम के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका प्रवेश हेतु अधिकार समाप्त समझा जायेगा तथा अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 वर्ग – II बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया –

4.2.1 पाठ्यक्रमों की सूची

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस वर्ग के पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं –

	Level	Course		
1.	Graduate	B.Lib.I.Sc.		
2.	Post Graduate	M.Lib.I.Sc.	M.Sc. in Physics	M.Com.
		M.A. in English	M.Sc. in Chemistry	M.A. in History
		M.A. in French	M.Sc. in Mathematics	M.A. in Political Science
		M.A. in Hindi	M.Sc. in Zoology	M.A. in Public Adm.
		M.A. in Sanskrit	M.Sc. in Botany	M.A. in Economics
		Music-Vocal / Dance	M.Sc. in Geology	L.L.M.
		M.A. in Extension Education & Social Work	M.Sc. in Environmental Science	M.A. Education
		Master of Journalism & Mass Comm. (MJMC)	M.Sc. in Computer Science	M.A. in Ancient Indian History, Culture & Archaeology
		M.Sc. Tech. (Industrial Maths with Computer Application)	M.Sc. in Biochemistry	
		M.Sc. in Remote Sensing and GIS	M.Sc. in Electronics	
		M.Sc. Bio- Physics	M.Sc. Medicinal Plant & Herbal resource Mngt.	
3.	P.G. Diploma	Marketing Management, Advertising and Sales Administration	Museology	Personnel Management
			Computer Applications	Yoga Therapy
4.	Diploma	Music / Dance	English	Sanskrit
		French	Human Rights	
5.	Certificate	French	English	Yoga
		Sanskrit		
6.	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) (each of TWO years duration) MBA (General), P.G. Diploma in : Psychological Counselling, Computer Applications		

4.2.2 प्रवेश प्रक्रिया –

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम एवं रेगुलेशन निम्नानुसार हैं –

4.2.2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर काउन्सलिंग द्वारा दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की मेरिट इन्डेक्स, आहर्ताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

4.2.2.2 सूचकांक (Index) निकालने के लिये नियम –

- विज्ञान एवं जीव विज्ञान के वे पाठ्यक्रम जो कि वर्ग II में चिन्हित हैं में प्रवेश हेतु इन्डेक्स बी० एस-सी० परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी० एस-सी० प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग होगा। इस इन्डेक्स को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।

- ii. कला, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य के विषयों के लिये बी० ए०/बी० एस-सी०/बी० कॉम० की परीक्षा के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक का प्रतिशत इन विषयों में प्रवेश हेतु इन्डेक्स होगा।
 - iii. बी०लिब० में प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत की मेरिट से होगा। प्रवेश हेतु, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर,, जिस भी स्तर पर भी अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे।
 - iv. एम०लिब० में प्रवेश हेतु बी०लिब० या यू०जी०सी० द्वारा मान्य बी०लिब० के समकक्ष पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिस भी पाठ्यक्रम में अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे
 - v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10 + 2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।
- 4.2.2.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा-
- i अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
 - ii अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
 - iii अभ्यर्थी, जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।
 - iv जिन्होंने आहर्ताकारी परीक्षा 2010 में उत्तीर्ण की है।

4.2.3 काउन्सलिंग

- 4.2.3.1 **वर्ग II** में दर्शाये गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके इन्डेक्स के अनुसार प्रत्येक विभाग के सूचना पटल पर **07 जुलाई 2010 को सांय तक** चस्पा कर दी जायेगी। सिर्फ वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग के लिये पात्र होंगे, जिनके नाम इन सूचियों में हैं।
- 4.2.3.2 वे सभी अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में हैं, वे **दिनांक 10 जुलाई 2010 को प्रातः 12:30 बजे** सम्बन्धित विभाग में काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होंगे। वे अपने साथ निम्न प्रपत्र की मूल एवं एक फोटोप्रति लायेंगे -
- क. अर्हताकारी परीक्षा के सभी वर्षों/सत्रों की अंकसूची,
 - ख. टी० सी०,
 - ग. अहर्ता प्रमाण पत्र, की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
 - घ. मार्ग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
- 4.2.3.3 प्रावीण्य सूची के अनुसार अभ्यर्थी का प्रवेश काउन्सलिंग के समय ही निश्चित कर दिया जायेगा तथा उसे फीस जमा करने हेतु एक स्लिप दी जायेगी। इस स्लिप को दिखाकर वह निर्धारित फीस, फीस काउन्टर पर जमा करेगा तथा रसीद की एक प्रति काउन्सलिंग टीम के

पास जमा करेगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम देय होगा, लायेंगे अथवा कैंश काउण्टर पर निर्धारित कैंश जमा करेंगे। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सलिंग टीम के पास जमा करेगा।

4.2.3.4 **ऐसे पाठ्यक्रमों में** जहाँ प्रवेश हेतु केवल अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत को प्रवेश हेतु मेरिट बनाने में शामिल किया जाता है वहाँ प्रावधिक प्रवेश स्थान रिक्त होने तथा कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही दिया जा सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए। किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम अंतिम काउन्सलिंग तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

4.2.3.5 उपरोक्त कोई भी भातों या निर्देशों को पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं करने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

4.2.3.6 अगर कोई अभ्यर्थी काउन्सलिंग के दिन/समय फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सलिंग टीम के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।

4.2.3.7 काउन्सलिंग के दिन जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका नाम प्रवेश सूची से हटा कर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

5 प्रवेश परीक्षा का स्थान –

5.2 **प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में** प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षायें विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जावेगी। विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा हेतु नियत स्थानों की जानकारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गालव सभागार, पूछताछ केन्द्र आदि के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगी।

5.3 **बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में** प्रवेश प्रक्रिया संबन्धित विभाग में ही सम्पन्न होगी।

6 शुल्क वापसी संबन्धी प्रावधान

6.1 अगर कोई आवेदक अंतिम काउन्सलिंग के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करा लेता है तो उसके द्वारा निर्धारित जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस काटकर आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु इस तिथि के पश्चात् केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा।

6.2 अगर अभ्यर्थी अपना प्रवेश किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण, अंतिम काउन्सलिंग तक कराता है तो उसके द्वारा जमा की गयी फीस में से 10% राशि काटकर परिवर्तित पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण कर दी जावेगी। तथापि अभ्यर्थी को परिवर्तित पाठ्यक्रम में कुल फीस का केवल 10% का भुगतान और करना होगा। अंतिम काउन्सलिंग के बाद पाठ्यक्रम/विषय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थी केवल एक बार ही पाठ्यक्रम परिवर्तित करवा सकता है।

- 6.3 यदि किसी आवेदक ने इस आशय का वचनपत्र दिया है कि यदि वह अपनी अर्हतादायी परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई, 2010 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जाये । उस दशा में यदि आवेदक 27 जुलाई, 2010 तक परीक्षा परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वापिस नहीं किया जायेगा ।
- 6.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है एवं वह विभिन्न कारणों से अंतिम काउन्सिलिंग के पूर्व प्रवेश को निरस्त करवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु अगर आवेदक अन्तिम काउन्सिलिंग के पश्चात् फीस वापिस हेतु आवेदन करता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जावेगा। अन्तिम काउन्सिलिंग की दिनांक वही मानी जावेगी जिसकी कि घोषणा इस बुलेटिन में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम से की गई है।

7 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

- 7.1 कोई ऐसे विशेष प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी, जिसका कि उल्लेख इस विवरणिका में नहीं हुआ हो, को प्रवेश समिति को हस्तांतरण कर दिया जायेगा। यह समिति जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, संबंधी एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर कार्य करेगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा।
- 7.2 कानूनी मतभेदों का निराकरण ग्वालियर परिक्षेत्र स्थित न्यायालय में ही किया जायेगा।
- 7.3 विवरणिका में दर्शाये किसी पाठ्यक्रम को चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 7.4 विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रमों के समक्ष दर्शाई गयीं एजेन्सियों द्वारा सम्पन्न करायी जाती है—

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा कराने वाली एजेन्सियाँ
1.	B.E. Chemical/B.E. Electronics	M.P.- P.E.T. conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
2.	M.C.A. and M.B.A.	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3.	B.Pharma	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.

जो छात्र उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी वि विद्यालय की प्रवेश विवरणिका क्रय कर विश्वविद्यालय का प्रवेश आवेदन-पत्र भी भरना होगा ।

- 7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रेगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर यह सब करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 7.6 यदि रेगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा । यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वि विद्यालय उसे संस्था से निष्काषित कर देगा ।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

शुक्रवार जून 25, 2010 कार्यालयीन समय

विलम्ब शुल्क 500 रु0 सहित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

सोमवार जून 28, 2010 कार्यालयीन समय

प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम –

- | | |
|--|--|
| 1. एल0 एल0 बी0, बी0 बी0 ए0 एवं बी0 सी0 ए0
BTM पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा | बुधवार जून 30, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 2. एल0 एल0 बी0, बी0 बी0 ए0 एवं बी0 सी0 ए0
BTM की प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम | बुधवार जून 30 2010, सांयकाल तक |
| 3. सामान्य तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों हेतु
एल0 एल0 बी0, बी0 बी0 ए0, BTM एवं बी0 सी0 ए0 पाठ्यक्रमों
में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | गुरुवार जुलाई 01, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 4. सभी वर्गों के प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों के लिए
एल0 एल0 बी0, बी0 बी0 ए0, BTM एवं बी0 सी0 ए0 पाठ्यक्रमों
में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | शुक्रवार जुलाई 02, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 5. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा
(शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) | रविवार जुलाई 04, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 6. प्रबन्ध पाठ्यक्रमों हेतु समूह चर्चा एवं साक्षात्कार | सोमवार जुलाई 05, 2010, प्रातः 08:00से 12:30बजे |
| 7. उपरोक्त प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम | मंगलवार जुलाई 06, 2010, सांयकाल तक |
| 8. सामान्य तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों हेतु
MBA स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों
के अतिरिक्त) में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | बुधवार जुलाई 07, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 9. सामान्य तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों हेतु
M.Sc. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों
के अतिरिक्त) में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | गुरुवार जुलाई 08, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 10. उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो प्रथम
दिन प्रवेश नहीं ले पायें हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों. (एम.बी.ए. एवं
एम.एस.सी.) (शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) में प्रवेश हेतु
काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | शुक्रवार जुलाई 09, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 11. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एम.बी.ए., एम.एस.सी.
(शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) में सभी वर्गों के प्रवेश
हेतु रिक्त स्थानों के लिए काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | शनिवार जुलाई 10, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 12. शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, एम0पी0एड0, सी0ए0एफ0)
के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा | रविवार जुलाई 11, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 13. शारीरिक दक्षता, परीक्षा समूह चर्चा एवं साक्षात्कार | सोम-बुधवार जुलाई 12-14, 2010, प्रातः 06:00 बजे |
| 14. शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, एम0पी0एड0, सी0ए0एफ0)
पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम | बुधवार जुलाई 14, 2010, सांयकाल तक |
| 15. शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, एम0पी0एड0, सी0ए0एफ0)
पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की
काउन्सलिंग (गालव सभागार में) | गुरुवार जुलाई 15, 2010, प्रातः 09:30 बजे |
| 16. M.Phil. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा | बुधवार August 25, 2010 |
| 17. M.Phil. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग
(विभिन्न अध्ययनशालाओं में) | सोमवार August 30, 2010 |
| प्रवेश परीक्षा विहीन पाठ्यक्रम | |
| 1. प्रवेश हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची का सूचना पटल पर
चस्पा करने की तिथि | बुधवार जुलाई 07, 2010 सांयकाल तक |
| 2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग
(विभिन्न अध्ययनशालाओं में) | शनिवार जुलाई 10, 2010 प्रातः 12:30 बजे |